

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
47/2018

तारीख रजू
18.03.2021

तारीख निर्णय
21/3/21

1. रामभजन पुत्र भौरया, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. गोपाल पुत्र भौरया, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर

—वादीगण

बनाम

1. परसू पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. रामगिलास पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
4. उदयसिंह पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
5. रूपबाइ बेबा बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
7. प्रबंधक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पीलौदा, वजीरपुर
8. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर से
निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि ख0न0 2426 रकबा 0.22 है0, ख0न0 2427 रकबा 0.24 है0, ख0न0 2428 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2429 रकबा 0.68 है0, ख0न0 2430 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2431 रकबा 0.17 है0, ख0न0 2434 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2435 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2436 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2437 रकबा 0.35 है0, ख0न0 2438 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2439 रकबा 0.06 है0, ख0न0 2440 रकबा 0.07 है0, ख0न0 2441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2442 रकबा 0.85 है0, ख0न0 2443 रकबा 0.25 है0, ख0न0 2445 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2446 रकबा 0.73 है0, ख0न0 2855 रकबा 0.32 है0, ख0न0 3061 रकबा 0.36 है0, ख0न0 3062 रकबा 0.35 है0 ग्राम पीलौदा तह0 वजीरपुर में स्थित है। उक्त भूमिमे वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा रिकार्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज है जिसका मीट्स एंड बाउन्ड से विभाजन होना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने सहमति से विभाजन कराने से इंकार कर दिया। इस कारण यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 2426 रकबा 0.22



[Handwritten signature]

(2)

है0, ख0न0 2427 रकबा 0.24 है0, ख0न0 2428 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2429 रकबा 0.68 है0, ख0न0 2430 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2431 रकबा 0.17 है0, ख0न0 2434 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2435 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2436 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2437 रकबा 0.35 है0, ख0न0 2438 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2439 रकबा 0.06 है0, ख0न0 2440 रकबा 0.07 है0, ख0न0 2441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2442 रकबा 0.85 है0, ख0न0 2443 रकबा 0.25 है0, ख0न0 2445 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2446 रकबा 0.73 है0, ख0न0 2855 रकबा 0.32 है0, ख0न0 3061 रकबा 0.36 है0, ख0न0 3062 रकबा 0.35 है0 ग्राम पीलौदा तह0 वजीरपुर का सरस नरस, मीट्स बाउन्ड्स से विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने जबाब मय काउन्टर क्लेम मे अंकित किया है कि वादगीण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर विभाजन कर अर्से से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र मे वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स मौके अनुसार विभाजन होन आवश्यक है। वादीगण के पिता भौरया कर्ताखानदान की हैसियत से सबसे बडा व्यक्ति था। पुराने जमाने के अनुसार सबसे बडे व्यक्ति कर्ताखानदान होने के कारण वादीगण के पिता का नाम नामान्तकरण खोल दिया गया। नामान्तकरण खोलते समय प्रतिवादीगण के पिता बिहारीलाल का नामान्तकरण मे दर्ज नही किया गया और वादीगण के पिता का नाम जमाबंदी मे दर्ज हो गया। वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात वर्णित खसरा नम्बरान मे से सहखातेदारी भूमि ख0न0 1244 मे वादीगण का 1/22 हिस्स, ख0न0 2170 मे वादीगण का हिस्सा 1/10, ख0न0 2130, 2131, 2171 मे वादीगण का हिस्सा 1/10 का नामान्तकरण खुल गया और रिकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम सहखातेदारी मे चली आ रही है। वर्णित भूमि के सम्बन्ध मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लिखित रूप से बंटवार हुआ था। जिसमे बाबा जगन की भूमि मे से 1/2 हिस्सा वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण ने मौके पर विभाजन कर लिखावट से पूर्व व बाबा के जीवन काल से ही प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण बिना रूकावट के शांतिपूर्ण तरीके से काबज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के बाबा की पैतृक भूमि व खरीदशुदा भूमि पर बहैसियत काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के मन मे बदनियती आ गई है और बाबा जगन की पैतृक भूमि मे से हिस्सा नही देने के कारण वादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण को मिलने नोटिस 10.8.18 से निरन्तर वादकारण चला आ रहा है जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/5 का 1/2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त बिना रूकावट के शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त करते चले आ रहे



[Handwritten signature]

(3)

है। अतः जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा खारिज कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउन्टर क्लेम वादीगण के विरुद्ध डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 2426 रकबा 0.22 है0, ख0न0 2427 रकबा 0.24 है0, ख0न0 2428 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2429 रकबा 0.68 है0, ख0न0 2430 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2431 रकबा 0.17 है0, ख0न0 2434 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2435 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2436 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2437 रकबा 0.35 है0, ख0न0 2438 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2439 रकबा 0.06 है0, ख0न0 2440 रकबा 0.07 है0, ख0न0 2441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2442 रकबा 0.85 है0, ख0न0 2443 रकबा 0.25 है0, ख0न0 2445 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2446 रकबा 0.73 है0, ख0न0 2855 रकबा 0.32 है0, ख0न0 3061 रकबा 0.36 है0, ख0न0 3062 रकबा 0.35 है0 ग्राम पीलौदा तह0 वजीरपुर का सरस नरस, मीट्स बाउन्ड्स से विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जावे तथा वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण को उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2074-2077 खाता संख्या 684 ग्राम पीलौदा, नकल नक्शा ट्रेस हाल, प्रस्तुत किये है।

जबाब मय काउन्टर क्लेम के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2074-2077 खाता संख्या 695, 546, 389, 850 ग्राम पीलौदा व छायाप्रति लिखावट किता 4 पृष्ठ प्रस्तुत की है।

दिनांक 14.08.2025 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से पत्रांक भूअ/2025/27 दिनांक 14.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्ष तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. रामभजन पुत्र भौरया हि0 1/2 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, गोपाल पुत्र भौरया हि0 1/2 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 2429/2 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2430 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2431 रकबा 0.17 है0, ख0न0 2434 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2435 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2436



[Handwritten signature]

(3)

रकबा 0.19 है0, ख0न0 2437 रकबा 0.35 है0 ख0न0 2441/2 रकबा 0.05 है0, ख0न0 2442 रकबा 0.85 है0, ख0न0 2443/2 रकबा 0.1250 है0, ख0न0 2855/2 रकबा 0.14 है0 ख0न0 3060 रकबा 0.36 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.015 है0 ग्राम पीलौदा रहेगी।

2. उदयसिंह पुत्र बिहारी हि0 1/5 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, ओमप्रकाश पुत्र बिहारी हि0 1/5 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, परसु पुत्र बिहारी हि0 1/5 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, रामगिलास पुत्र बिहारी हि0 1/5 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, मु0 रूपबाई पत्नी स्व0 बिहारी हि0 1/5 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 2426 रकबा 0.22 है0, ख0न0 2427 रकबा 0.24 है0, ख0न0 2428 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2429/1 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2438 रकबा 0.34 है0, ख0न0 2446 रकबा 0.73 है0, ख0न0 2440 रकबा 0.07 है0 ख0न0 2441/1 रकबा 0.05 है0, ख0न0 2443/1 रकबा 0.1250 है0, ख0न0 2445 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2855/1 रकबा 0.18 है0 ख0न0 3062 रकबा 0.35 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.015 है0 ग्राम पीलौदा रहेगी।

3. उदयसिंह पुत्र बिहारी हि0 1/10 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, ओमप्रकाश पुत्र बिहारी हि0 1/10 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, परसु पुत्र बिहारी हि0 1/10 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, रामगिलास पुत्र बिहारी हि0 1/10 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, मु0 रूपबाई पत्नी स्व0 बिहारी हि0 1/10 जाति मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, रामभजन पुत्र भौरया हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, गोपाल पुत्र भौरया हि0 1/4 जाति



[Handwritten signature]

(4)

मीना स0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा सा. देह की खातेदारी मे भूमि ख0न0 2439 रकबा 0.06 किस्म गैर मुमकिन चाह रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सुधारात्री मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर.

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामभजन पुत्र भौरया, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. गोपाल पुत्र भौरया, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर —वादीगण

बनाम

1. परसू पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. रामगिलास पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
4. उदयसिंह पुत्र बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
5. रूपबाइ बेबा बिहारी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
7. प्रबंधक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पीलौदा, वजीरपुर
8. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 47/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार

भूमि का विभाजन किया जाता है।



[Handwritten signature]

(2)

1. रामभजन पुत्र भौरया हि० 1/2 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, गोपाल पुत्र भौरया हि० 1/2 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा की खातेदारी मे भूमि ख०न० 2429/2 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2430 रकबा 0.15 है०, ख०न० 2431 रकबा 0.17 है०, ख०न० 2434 रकबा 0.13 है०, ख०न० 2435 रकबा 0.16 है०, ख०न० 2436 रकबा 0.19 है०, ख०न० 2437 रकबा 0.35 है० ख०न० 2441/2 रकबा 0.05 है०, ख०न० 2442 रकबा 0.85 है०, ख०न० 2443/2 रकबा 0.1250 है०, ख०न० 2855/2 रकबा 0.14 है० ख०न० 3060 रकबा 0.36 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.015 है० ग्राम पीलौदा रहेगी।

2. उदयसिंह पुत्र बिहारी हि० 1/5 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, ओमप्रकाश पुत्र बिहारी हि० 1/5 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, परसु पुत्र बिहारी हि० 1/5 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, रामगिलास पुत्र बिहारी हि० 1/5 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, मु० रूपबाई पत्नी स्व० बिहारी हि० 1/5 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा की खातेदारी मे भूमि ख०न० 2426 रकबा 0.22 है०, ख०न० 2427 रकबा 0.24 है०, ख०न० 2428 रकबा 0.21 है०, ख०न० 2429/1 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2438 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2446 रकबा 0.73 है०, ख०न० 2440 रकबा 0.07 है० ख०न० 2441/1 रकबा 0.05 है०, ख०न० 2443/1 रकबा 0.1250 है०, ख०न० 2445 रकबा 0.16 है०, ख०न० 2855/1 रकबा 0.18 है० ख०न० 3062 रकबा 0.35 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.015 है० ग्राम पीलौदा रहेगी।

3. उदयसिंह पुत्र बिहारी हि० 1/10 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, ओमप्रकाश पुत्र बिहारी हि० 1/10 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, परसु पुत्र बिहारी हि० 1/10 जाति मीना सा० देह खातेदार रहन एसबीआई उदेईखुर्द, रामगिलास पुत्र बिहारी हि०



[Handwritten signature]

(3)

1/10 जाति मीना स० देह खातेदार रहन एसबीआई संदेईख्युर्द, मु० रूपबाई पत्नी स्व० बिहारी हि० 1/10 जाति मीना स० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, रामभजन पुत्र भौरया हि० 1/4 जाति मीना स० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा, गोपाल पुत्र भौरया हि० 1/4 जाति मीना स० देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी पीलौदा सा. देह की खातेदारी मे भूमि ख०न० 2439 रकबा 0.06 किस्म गैर मुमकिन चाह रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।



पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/26 को जारी किया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर